



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01082024-255985  
CG-DL-E-01082024-255985

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 580]  
No. 580]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 1, 2024/श्रावण 10, 1946  
NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 1, 2024/SHRAVANA 10, 1946

इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 2024

**21-सीडब्ल्यूए/2024.**—यथासंशोधित लागत और संकर्म लेखाकार अधिनियम, 1959 की धारा 21 की उप धारा (1) के अनुसरण में, एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि संस्थान की परिषद ने दिनांक 21 मई और 7 जुलाई, 2024 को आयोजित अपनी 352वीं बैठक में, अनुशासन निदेशालय द्वारा प्राप्त किसी भी सूचना या शिकायत के संबंध में जांच करने के लिए, श्री राजेश कुमार जैन, संयुक्त निदेशक को दिनांक 1 अगस्त, 2024 से निदेशक (अनुशासन) के रूप में नामित किया है।

सीएमए कौशिक बैनर्जी, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./349/2024-25]

**THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA**  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st August, 2024

**21-CWA/2024.**—In pursuance of sub-section (1) of Section 21 of the Cost and Works Accountants Act, 1959 as amended, it is hereby notified that the Council of the Institute at its 352<sup>nd</sup> meeting held on 21<sup>st</sup> May and 7<sup>th</sup> July, 2024, has designated Shri Rajesh Kumar Jain, Joint Director, as Director (Discipline) with effect from 1<sup>st</sup> August, 2024, for making investigations in respect of any information or complaint received by the Disciplinary Directorate.

CMA KAUSHIK BANERJEE, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./349/2024-25]